न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :–184/23

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
पंजाब एण्ड सिन्ध बैक सोजती गेट, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री रवीन कुमार		• श्री मोहम्मद अकरम पुत्र श्री अब्दुल रसीद 1066, तेलियों का मदरसा, वार्ड न. 37, गुलजापुरा, जोधपुर • श्रीमती आयशा बेगम पत्नी श्री मोहम्मद अकरम 1066, तेलियों का मदरसा, वार्ड न. 37, गुलजापुरा, जोधपुर • श्री इंसाफ अली पुत्र श्री सरदार अली 400, मदरसा के पास, जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश दिनांक :–14.02.2024

उपस्थिति :–

1–कृष्ण सिह चौहान अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज०)

आदेश

प्रार्थी पक्ष की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण श्री मोइम्मद अकरम पुत्र श्री अब्दुल रसीद व अन्य के विरूद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 10.75 लाख आवासीय ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण **श्री मोहम्मद अकरम पुत्र श्री अब्दुल रसीद** की जायदाद **आवासीय बंधक सम्पत्ति बम्बा मोहल्ला, छोटी मस्जिद, जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 465.34 वर्ग फीट** जिसके **उत्तर में चांद मोहम्मद का घर, दक्षिण में रसीदा में रसी[illegible] का घर, पूर्व में जहीद हुसैन का घर एवं पश्चिम में रास्ता** आय[illegible] को प्रार्थी बैंक/[illegible] के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित [illegible] कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.17 18:43:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज०)

हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 30.06.2023 तक 11,79,830.40/– रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 10.75 लाख आवासीय ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 30.06.2023 तक 11,79,830.40/– रूपये वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्राथीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद **श्री मोहम्मद अकरम पुत्र श्री अब्दुल रसीद** की जायदाद **आवासीय बंधक सम्पत्ति बम्बा मोहल्ला, छोटी मस्जिद, जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 465.34 वर्ग फीट.** जिसके **उत्तर में चांद मोहम्मद का घर, दक्षिण में रसीदा में रसीदा बेगम का घर, पूर्व में जहीद हुसैन का घर एवं पश्चिम में रास्ता** आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक14.02.2024 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज०

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.17 18:43:25 IST
Reason: SelfAttested